FORM No. 123

(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

**न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**

| Date | Orders with initials of P.O.<br>**सरकार बनाम सुरेश यादव**<br>**सेशन प्रकरण संख्या – 34/2023(46/2023), सीआईएस संख्या – 34/2023** | Brief note of Compliance of Order |
|---|---|---|
| 19.11.2024 | अपर लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्त सुरेश यादव जेसी से अनुपस्थित। परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस चार्ज गत पेशी पर सुनी जा चुकी है। परिवादी की ओर से न्यायिक दृष्टांत पेश किए गए।<br>दौराने बहस अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किए कि अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी द्वारा जमीन संबंधित विवाद एवं पूर्व रंजिशवश झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मृतक अशोक यादव की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी, जिसको हत्या का रूप देने के लिए उसके परिवार वालों ने ही उस पर गोलियाँ चलाकर अभियुक्त द्वारा हत्या कारित करने के झूठे आरोप लगाए गए है जबकि अभियुक्त ने उसे नहीं मारा ना ही उसकी माता को कोई गंभीर चोटे कारित की। अतः ऐसी स्थिति में इस संबंध में गवाहान की साक्ष्य में भारी विरोधाभास है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपित अपराध से उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया गया।<br>दौराने बहस अपर लोक अभियोजक एवं परिवादी अधिवक्ता ने कथन किए कि अभियुक्त की ओर से परिवादी के भाई व उसकी माता जो मोटरसाइकिल से जा रहे थे को पीछे से कार द्वारा टक्कर मारकर अशोक यादव की हत्या कारित करने के आशय से उसपर अंधाधुंध गोलियाँ चलाकर उसकी मृत्यु कारित की तथा परिवादी की माता की माता के भी उक्त घटना में टक्कर मारने से गंभीर चोटे कारित हुई है। इस प्रकार परिवादी की माता शांति देवी की मृत्यु कारित करने का भी अभियुक्त द्वारा प्रयास किया गया एवं अवैध रूप से बिना अनुज्ञा पत्र के अवैध पिस्टलनुमा हथियार को अपने कब्जे में रखा एवं तलवारनुमा लोहे का गंडासा अपने कब्जे में रखा एवं अवैध पिस्टलनुमा हथियार मय मैगजीन मय कारतूस स्वयं के कब्जे में रखकर परिवादी के भाई पर फायर कर उसका उपयोग किया गया है। जिसके संबंध में पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 341, 302, 307, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25(1)(i–B), 5/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध के आरोप विरचित किए जाने का प्रथमदृष्टया आधार पत्रावली पर मौजूद होने से अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाए। अपने पक्ष समर्थन में निम्न न्यायिक–दृष्टांत पेश किए गए –<br>1. 2009 Cr.L.R. (SC) 230 Palwinder Singh Vs Balwinder Singh & Ors.<br>2. 2014(3) Cr.L.R. (Raj.) 1349 CBI Vs. Sohan Lal Bishnoi & Ors.<br>3. 2000 Cr. L.R. (SC) 407 State of M.P. Vs. S.B. johari & Ors. etc.<br>4. Appeal (Crl.) 497 of 2001 State Of Orissa Vs. Debendra Nath Padhi<br>उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अभियुक्त सुरेश यादव के विरूद्ध परिवादी की माता एवं उसके भाई जो कि मोटरसाइकिल से अपने घर जा | |

रहे थे को रास्ते में अभियुक्त द्वारा कार लेकर आने तथा उनकी मृत्यु कारित करने के आशय से पीछे से मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारने, जिससे परिवादी की माता एवं उसके भाई नीचे गिर गए। तथा अभियुक्त द्वारा परिवादी के भाई के पिस्टल से उसके शरीर पर गोलियाँ चलाना, जिसके फलस्वरूप अशोक यादव की मृत्यु होना एवं उसकी माता शांति देवी के साधारण चोटे कारित कर उसकी हत्या का प्रयास करने के अपराध के संबंध में पर्याप्त मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है तथा मृतक अशोक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं आहत शांति देवी की चोट प्रतिवेदन रिपोर्ट भी पत्रावली पर मौजूद है। अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त की गई अवैधपिस्टलनुमा हथियार मय मैगजीन मय कारतूस, तलवारनुमा लोहे का गंडासा एवं घटना में प्रयुक्त वाहन कार को जब्त किया गया है। प्रकरण अभी चार्ज के प्रक्रम पर है। माननीय न्यायालयों द्वारा विभिन्न न्यायिक–दृष्टांतों द्वारा यह स्थापित विधि है तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक–दृष्टांत में भी उक्त सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि बहस चार्ज के प्रक्रम पर साक्ष्य का सुक्ष्म विवेचन एवं विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रथमदृष्टया अपराध का घटित होना एवं अभियुक्त की उसमें संलिप्तता प्रथमदृष्टया प्रकट होने पर चार्ज विरचित किए जाने चाहिए। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त का परिवादी की माता एवं उसके भाई की हत्या कारित करने के आशय से कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मारना एवं तत्पश्चात उसके भाई पर कार चढ़ाकर उस पर गोलियाँ चलाकर उसकी मृत्यु कारित करने एवं उसकी माता के टक्कर मारकर हत्या कारित करने के आशय से चोटे कारित करना, हत्या का प्रयास करना मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथमदृष्टया प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध परिवादी के भाई एवं उसकी माता का सदोष अवरोध कारित करने, उसके भाई व माता की मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर उसके भाई को नीचे गिराकर उस पर हत्या कारित करने के आशय से उसके शरीर पर अवैध पिस्टलनुमा हथियार से गोली मारकर मृत्यु कारित करने एवं उसकी माता शांति देवी की हत्या कारित करने के आशय से उसे मोटरसाइकिल से नीचे गिराने एवं उपहति कारित करने, हत्या का प्रयास करने एवं उक्त अपराध कारित करने में अवैध पिस्टलनुमा हथियार मय मैगजीन मय कारतूस को अपने कब्जे में रखने, उपयोग में लेने जिसका कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होने एवं तलवारनुमा लोहे के गंडासे को अपने कब्जे में रखने से अभियुक्त सुरेश यादव के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 341, 302, 307, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/25(1)(i–B), 5/27 व 4/25 आर्म्स एक्ट के अपराध में आरोप विरचित किए जाने के प्रथमदृष्टया आधार पत्रावली पर उपलब्ध होने से अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध में आरोप विरचित किए जाने का आदेश दिया जाता है।

अभियुक्त जेसी से अनुपस्थित है। आयंदा अभियुक्त को असालतन उपस्थित रखने बाबत जेसी वारण्ट पर नोट अंकित हो। पत्रावली वास्ते विरचित होने आरोप दिनांक 25.11.2024 को पेश हो।

**(शालिनी शर्मा)**
**अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश**
**संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**